19
38

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

कमांक प. 11(1)प्रसु/सूअप्र/2015

जयपुर ,दिनांक 5-2-2015

परिपत्र

राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 132/2015 एवं 144/2015 उप शासन सचिव कार्मिक विभाग बनाम श्री प्रकाश शुक्ल में पारित आदेश दिनांक 08.01.2015 के सन्दर्भ में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग में राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि अपील की सुनवाई के समय आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें लेकिन राज्य सूचना आयोग से बार-बार नोटिस जारी होने के उपरान्त भी सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं होते है जिसके कारण आयोग मे वांछित सूचना नहीं दिये जाने का वास्तविक कारण प्रस्तुत नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप राजस्थान सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति आधिरोपित कर दी जाती है।

राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा यदि नियत समय पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख दिया जावे तो शास्ति लगने की सम्भावना नहीं रहेगी ।

अतः समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग में नियुक्त समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों को सूचना आयोग में सुनवाई हेतु उपस्थित रहने बाबत पाबंद करें। प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने विभाग में एक उप सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर आयोग से प्राप्त अपील नोटिस को सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी को तामिल कराने की सुदृढ व्यवस्था भी स्थापित करावे ताकि आयोग में सुनवाई के दौरान सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रबलता से रख सकें।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक
7. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(राकेश वर्मा)
अति. मुख्य सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग